उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-3/2020-305/का-1-2020
लखनऊः 24 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

विषय- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय।

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-679/पांच-2020 दिनांक 22-03-2020 का संज्ञान लेते हुए कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-303 /सामान्य-का-4-2020 दिनांक 20-03-2020 को संशोधित करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश दिये जाते हैः-

(1) विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्य इस प्रकार का रोस्टर तैयार करेगे कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनमें सलाहकार एवं संविदा तथा आउटसोर्स कार्मिक भी शामिल है और जो प्रत्येक विभाग में आवश्यक सेवायें संपादित कर रहें है, उन्हें ही दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में कार्यालय उपस्थित होने हेतु कहा जाय। अन्य शब्दों में कार्यालय के कार्य अल्प स्टाफ (Skeletal Staff) द्वारा संचालित करायें जायें। ऐसे कार्मिक जो घर से कार्य कर रहें है वह हर समय टेलीफोन एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम पर किसी भी तरह के सम्वाद के लिये उपलब्ध रहेगे। वह कार्यालय में तभी उपस्थित होगें, जब उन्हें किसी कार्य की आकस्मिकतावश बुलाया जाय।

(2) यह निर्देश सामान्यतया सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक (Statutory) संस्थाओं के लिये भी निर्गत माने जायेंगें। जहां इस हेतु विशिष्ट आदेशों की आवश्यकता है, वहॉ सक्षमस्तर से आदेश निर्गत किये जा सकते हैं ।

(3) सार्वजनिक उद्यम विभाग भी इस आशय के निर्देश सार्वजनिक उद्यमों के लियें निर्गत कर सकते है।

(4) यह दिशा-निर्देश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे जो ऐसी आकस्मिक/ आवश्यक सेवाओं से जुड़े है तथा जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहें है।

2- उपर्युकत निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-305 (1)/का-1-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in